# SHRI BALAJI INDUSTRIAL ENGINEERING LIMITED

CIN - U28133RJ2008PLC025821

Works :
Basti Road, P.O. Barajamda
Dist. West Singhbhum
Jharkhand - 833221

Contact :
+91 62008 26505
+91 62008 26508
+91 98304 81445


सेवा में,
वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
चाईबासा वन प्रमण्डल, चाईबासा

विषय – श्री बालाजी इंडस्ट्रीयल इंजीन्यरिंग लि०, मौजा–बाड़ा जामदा जिला पश्चिम सिंहभूम में स्थित स्पंज आयरन प्लांट हेतु 1.66 हे० वन भूमि (जंगल–झाड़ी) अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग : 1. पत्र संख्या–वन भूमि–21/2022–2097 व०प्र०, राँची, दिनांक 26.07.2.22 (कंपनी को प्राप्त प्रति के रुप में)

2. व० प्र० पदाधिकारी का कार्यलय का पत्रांक संख्या–1627, दिनांक– 28.09.2022

Rcvd 23/03/2023

महाशय,

उर्पयुक्त विषयक प्रासगिंक पत्र के आलोक में अनुरोध पूर्वक सूचित करना है कि विषयगत परियोजना में वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा पृच्छत बिन्दुओं पर प्रतिवेदन समर्पित किया जा रहा है जो कि निम्नवत है :–

चाईबासा वन प्रमण्डल, चाईबासा कार्यालय
प्राप्तांक
दिनांक

| | |
|---|---|
| 1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य प्राणी एवं मुख्य वन्य प्रतिपालक, झारखण्ड का मन्तव्य। | 1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य प्राणी एवं मुख्य वन्य प्रतिपालक, झारखण्ड का मन्तव्य विभाग द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, .......... कृप्या। |
| 2. प्रस्तावित पूर्ण जंगल–झाड़ी भूमि का सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनापति प्रमाण–पत्र। | 2. उपायुक्त जिला पश्चिम सिंहभूम द्वारा प्रस्तावित पूर्ण जंगल–झाड़ी भूमि का अनापति प्रमाण–पत्र प्राप्त हैं एवं (ज्ञापांक–378 (4), दिनांक 28.12.2022) छाया प्रति सलग्न। |
| 3. FRA प्रमाण–पत्र (इस क्रम में हुई बैठकों की, कार्यवाही के साथ) | 3. उपायुक्त जिला पश्चिम सिंहभूम द्वारा प्रस्तावित भूमि का FRA प्रमाण पत्र प्राप्त है, छाया प्रति सलग्न (पत्रांक–532(B) दिनांक 22.3.2023 एवं इस क्रम में हुई कार्यवाही की प्रति सलग्न है। |

| | |
|---|---|
| 4. विषयक प्रस्ताव में EIA Notification, 1994 के आलोक में क्या Environment Clearance प्राप्त करना अनिवार्य था अथवा नही, से संबधित प्रतिवेदन। | 4. EIA Notification, सितम्बर 2006 के आलोक में इकाई का Expansion हेतु Regularization से सम्बधित EC का आवेदन प्रक्रिया में है। (आवेदन की छाया प्रति सलग्न) |
| 5. पार्ट–II की कंडिका–8 (ii) में अंकित सूचना तथा नोडल पदाधिकारी के पत्रांक–519 दिनांक–20.06.2022 की कंडिका–20 में अंकित सूचना विरोधाभाष को स्पष्ट करते हुए प्रतिवेदन। | 5. बिन्दु 5 की पृच्छा का प्रतिवेदन के लिये श्रीमान के समक्ष प्रार्थनीय है,–कृप्या । |
| 6. विषयक प्रस्ताव में किए गए उल्लंघन के विरुद्ध की गई कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन। | 6. बिन्दु 6 की पृच्छा का प्रतिवेदन के लिये श्रीमान के समक्ष प्रार्थनीय है,–कृप्या। |

अतः श्रीमान् से नम्र निवेदन है कि इकाई द्वारा किये गये उपरोक्त प्रतिवेदन पालन के आलोक में सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए अग्रेतर कार्यवाई करने हेतु कृपा प्रदान करना चाहेगें।

सधन्यवाद

विश्वासभाजन

वास्ते, श्री बालाजी इंन्डसट्रीयल इनजिंनियरिंग लि०

अधिकृत हस्ताक्षर

Annexure - II

# FORM – II

(for Projects other than Linear projects)
GOVERNMENT OF JHARKHAND
Office of the District Collector, West Singhbhum, Chaibasa.

NO :- 532 (B) DATE :- 22.3.2023

## To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India Letter No. 11-9/98-FC (pt.) Dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA for short) on the Jungle-Jhari land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that **4.11 Acre** of forest land ( proposed to be diverted in favour of M/S **SHRI BALAJI INDUSTRIAL ENGINEERING LIMITED, BARA JAMDA** for (purpose for diversion of forest land) in WEST SINGHBHUM district falls within jurisdiction of BARAJAMDA village (s) in NOAMUNDI Tehsils.

It is further certified that :

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **4.11 Acre** of forest area proposed for divertion, A copy of record of all consultation and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha (s), Sub-Division level Committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure I to III Annexure

(b) the proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/Local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA ;

(c) the each of concerned Gram Sabha(s), has certified that all formalities/ processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of propsed diversion. A copy of certificate issued by the Gram Sabha of **BARA JAMDA** villages (s) is enclosed as annexure......

(d) the discussion and decision on such proposal had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;

(e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent to it;

(f) the rights of Primitive Trible Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA.

Enclosure – as above.

Office of the Deputy Commissioner, West Singhbhum, Chaibasa

Deputy Commissioner
West Singhbhum, Chaibasa
Signature
(Full Name and office seal of the District Collector)

पत्रांक–3 / वन भूमि –16 / 2010–

झारखण्ड सरकार,

वन एवं पर्यावरण विभाग

प्रेषक,

सुनील कुमार,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

सभी उपायुक्त–सह–अध्यक्ष,
जिला स्तरीय वन अधिकार समिति,
वन अधिकार अधिनियम, 2006

रांची, दिनांक–

विषयः– वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अंतर्गत वन भूमि अपयोजन के मामलों में अनुसूचित जन–जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुपालन के संबध में।

प्रसंगः– विभागीय पत्रांक–2659 दिनांक–28.07.10 एवं ज्ञापांक–2682 दिनांक–30.07.10

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत वन भूमि अपयोजन के मामलों में अनुसूचित जन–जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दिशा–निर्देश एवं प्रपत्र उपलब्ध कराया गया था। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक–11–9 / 98–FC (Pt.) दिनांक–15.01.14 तथा 05.07.13 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा इस संदर्भ में संशोधित दिशा–निर्देश एवं प्रपत्र निर्गत किया गया है।

उपरोक्त के आलोक में अनुरोध है कि भारत सरकार के उक्त दिशा–निर्देशों के अनुसार वन भूमि अपयोजन के प्रस्तावों के साथ अनुसूचित जन–जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुपालन हेतु संशोधित विहित प्रपत्र में प्रमाण–पत्र संबंधित अभिलेखों के साथ समर्पित करने की कृपा की जाय।

अनु०–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह० / –

(सुनील कुमार)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–3 / वन भूमि –16 / 2010– 1758    व० प०, राँची,दिनांक –5/5/2014

प्रतिलिपि–सभी प्रधान सचिव / सचिव, झारखण्ड सरकार / सभी प्रमंडलीय आयुक्त, झारखण्ड / प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची / प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची / सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड / सभी वन संरक्षक, झारखण्ड / सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी, झारखण्ड / मुख्य सचिव के आप्त सचिव, झारखण्ड, राँची को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

31 JAN 2014
झारखण्ड, राँची

F. No. 11-9/98-FC (*pt.*)
Government of India
Ministry of Environment & Forests
(FC Division)

Paryavaran Bhawan,
CGO Complex, Lodhi Road,
New Delhi-110 003
Dated: 15[th] January, 2014

To,

The Principal Secretary (Forests),
All State/ Union Territory Governments

Sub: Diversion of forest land for non-forest purposes under the Forest (Conservation) Act, 1980 – ensuring compliance of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006.

Sir,

I am directed to refer to this Ministry's letters of even number dated 5[th] July 2013 on the above-mentioned subject where-under this Ministry sent a copy of formats for submission of evidence for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006, and to clarify further as below in respect of certificates required for linear projects (Form-I) and other than linear projects (Form-II):

(i) Form- II for projects other than linear projects stipulates certificate from the district collector on six counts, including consent of gram sabha for the project, as provided in clause (b) (c) and (d) of the format. Whereas Form-I for linear projects stipulates certificates from the concerned district collector on only three counts which do not include consent from the gram sabha concerned for the linear project per se;

(ii) The 'consent' stipulated in phrase "........ *Gram Sabhas have given their consent to it...*" appearing in clause (b) of Form-I for linear projects is for diversion of forest land for the facilities managed by Government in accordance with the provisions of section 3 (2) of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006; and

(iii) It is re-iterated that as mentioned by this Ministry in its letter of even number dated 5[th] February 2013, after consultation and concurrence of the Ministry of Tribal Affairs, linear projects, except those involving recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, are exempted from requirement of obtaining consent for such projects from each concerned Gram Sabha.

सचिव, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय
03 FEB 2014

Yours faithfully,

(H.C. Chaudhary)
Assistant Inspector General of Forests

Copy To:

1. The Secretary, Ministry of Tribal Affairs, New Delhi.
2. Principal Chief Conservator of Forests, all State/UT Governments.
3. Nodal Officer, the Forest (Conservation) Act, 1980, all State/UT Governments.
4. All Regional Offices, Ministry of Environment & Forests.

5. Joint Secretary in-charge, Impact Assessment Division, MoEF.
6. All Assistant Inspector General of Forests/ Directors in Forest Conservation Division, MoEF.
7. Director R.O. (HQ), Ministry of Environment & Forests, New Delhi.
8. Sr. Director (Technical), NIC, MoEF with a request to place a copy of the letter on website of this Ministry.
9. Guard File.

(H.C. Chaudhary)
Assistant Inspector General of Forests

F. No. 11-9/98-FC (pt.)
Government of India
Ministry of Environment & Forests
(FC Division)

Paryavaran Bhawan,
CGO Complex, Lodhi Road,
New Delhi-110 003
Dated: 5th July, 2013

To,

The Principal Secretary (Forests),
All State/ Union Territory Governments

Sub: Diversion of forest land for non-forest purposes under the Forest (Conservation) Act, 1980 – ensuring compliance of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006.

Sir,

I am directed to refer to this Ministry's letters of even number dated 3rd August 2009 and dated 5th February 2013on the above mentioned subject wherein this Ministry issued detailed guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006, and to say that certificate in accordance with the said letters in respect of (a) linear, and (b) other projects shall be submitted in the formats enclosed as Annexure-I (FORM-I) and Annexure-II (FORM-II) respectively.

Yours faithfully,

*Encl.:* As above.

(H.C. Chaudhary)
Assistant Inspector General of Forests

Copy To:

1. The Secretary, Ministry of Tribal Affairs, New Delhi.
2. Principal Chief Conservator of Forests, all State/UT Governments.
3. Nodal Officer, the Forest (Conservation) Act, 1980, all State/UT Governments.
4. All Regional Offices, Ministry of Environment & Forests.
5. Joint Secretary in-charge, Impact Assessment Division, MoEF.
6. All Assistant Inspector General of Forests/ Directors in Forest Conservation Division, MoEF.
7. Director R.O. (HQ), Ministry of Environment & Forests, New Delhi.
8. Sr. Director (Technical), NIC, MoEF with a request to place a copy of the letter on website of this Ministry.
9. Guard File.

(H.C. Chaudhary)
Assistant Inspector General of Forests

Annexure-I

FORM-I

*(for linear projects)*

Government of .......

Office of the District Collector .......

****

No. ......                                                                 Dated................

To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that ....... hectares of forest land proposed to be diverted in favour of ........ (name of user agency) for ......... (purpose for diversion of forest land) in ........ district falls within jurisdiction of ............. village(s) in ........tehsils.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire .... hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ... to ....... annexure .......

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

*Encl.:* As above.

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

Annexure-II

FORM-II

*(for projects other than linear projects)*

Government of .......

Office of the District Collector

****

No ......                                    Dated .......

## TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that...... hectares of forest land proposed to be diverted in favour of ........ (name of user agency) for ......... (purpose for diversion of forest land) in ........ district falls within jurisdiction of ............. village(s) in ........tehsils.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire ..... hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub- Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ... to ....... annexure ..........

(b) the proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;

(c) the each of concerned Gram Sabha(s), has certified that all formalities/ processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of ................. villages(s) is enclosed as annexure ... to annexure......

(d) the discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50 % of the members of Gram Sabha present;

(e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(f) the rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA.

*Encl.:* As above.

Signatur

(Full name and official seal of the District Collector

दिनांक 22.02.2023 को जिला दण्डाधिकारी–सह–उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा की अध्यक्षता में हुई जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक की कार्यवाही।

68

दिनांक 22.02.2023 को अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के तत्संबंधी नियम 2008 एवं संशोधित नियम 2012 के तहत उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में बैठक हुई जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :–

1. जिला दण्डाधिकारी–सह–उपायुक्त, प0 सिंहभूम, चाईबासा
2. वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सारण्डा वन प्रमण्डल, चाईबासा
3. वन प्रमण्डल पदाधिकारी, कोल्हान वन प्रमण्डल, चाईबासा
4. वन प्रमण्डल पदाधिकारी, पोड़ाहाट वन प्रमण्डल, चाईबासा
5. वन प्रमण्डल पदधिकारी, चाईबासा वन प्रमण्डल, चाईबासा
6. जिला कल्याण पदाधिकारी, प0 सिंहभूम, चाईबासा
7. जुलियस दास, गोईलकेरा – सदस्य
8. लक्ष्मण सोय, ताम्बो, चाईबासा – सदस्य
9. श्रीमती नन्दी मेलगाण्डी, गोईलकेरा – सदस्य

1. सचिव–सह–जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, प0 सिंहभूम, चाईबासा के द्वारा बतलाया गया कि तीनों अनुमण्डल से अनुमण्डल स्तरीय वनाधिकार समिति से अनुमोदित अंचलवार/ग्रामवार निम्न प्रकार दावा प्राप्त हुआ :–

| क्र0 | अनुमण्डल का नाम | प्रखण्ड का नाम | ग्राम का नाम | व्यक्तिगत दावों की सं0 | सामुदायिक दावों की सं0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | पोड़ाहाट चक्रधरपुर | गोईलकेरा | तागाउली | 12 | 1 |
| | | | बाईकोचा | 10 | 0 |
| | | | बुरूखुँटपाई | 6 | 0 |
| | | | काकारूदा | 1 | 0 |
| | | | टुण्डिका, छतियानबेडा | 18 | 0 |
| | | बन्दगांव | देशाउलीबेड़ा | 4 | 0 |
| | | | गोंठउली | 9 | 0 |
| | | | बुरूडाडी | 16 | 0 |
| | | | जातेबेड़ा | 4 | 0 |
| 2 | सदर चाईबासा | खुँटपानी | छोटा लगिया | 0 | 1 |
| | | | कुल :– | 80 | 2 |

2. समिति द्वारा अनुमण्डल स्तरीय वनाधिकार समितियों से प्राप्त गोईलकेरा, बन्दगांव, एवं खुटपानी प्रखण्ड के 80 व्यक्तिगत एवं 02 सामुदायिक दावा अभिलेखों का मिलान किया गया। जिसे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि वन अधिकार समिति से पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन जो सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्राप्त व्यक्तिगत एवं सामुदायिक दावों का पॉलीगॉन, एवं जी0पी0एस0 चौहद्दी सहित अनुमण्डल स्तरीय वन अधिकार समिति के पास भेजेंगे। तदोपरान्त अनुमण्डल स्तरीय वनाधिकार

समिति सभी प्राप्त आवेदनों को जाँचोपरान्त अभिलेख जिला स्तरीय वनाधिकार समिति को स्वीकृति के निमित्त उपलब्ध करायेंगे।

3. मनोहरपुर अंचल अन्तर्गत ग्राम–महुलडीहा, टोला–कुकुंडवीर के कुल 100 वन पटट्ा दावेदारों का आवेदन प्राप्त हुआ था, जिसमें 46 दावेदारों को वनपटट्ा दिया जा चुका है, परन्तु शेष 54 आवेदनों का सेटेलाईट Imagery के माध्यम से स्थलीय सत्यापन के क्रम में 13 दिसम्बर 2005 के पूर्व होने का साक्ष्य स्पष्ट परीलक्षित नहीं होने के कारण वन पटट्ा नहीं दिया जा सका है। उक्त 54 आवेदनों के लिए अंचल अधिकारी एवं वन क्षेत्र पदाधिकारी की संयुक्त स्थलीय भौतिक सत्यापन किया जा सकता है। अंचल अधिकारी एवं वन क्षेत्र पदाधिकारी के संयुक्त स्थलीय भौतिक सत्यापन के आधार पर शेष 54 आवेदनों को वन पटट्ा देने हेतु निर्णय लिया जा सकता है।

4. नये प्राप्त आवेदनों प्रखण्ड–गोईलकेरा के 29 व्यक्तिगत एवं 01 सामुदायिक दावा एवं बन्दगांव प्रखण्ड के 29 व्यक्तिगत दावों तथा अंचल खुंटपानी के 01 सामुदायिक दावा जो कार्यालय को निबंधित डाक द्वारा प्राप्त है। उसे समिति के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से वापस करने का निर्णय लिया गया।

5. पूर्व से जिला स्तरीय वनाधिकार समिति से स्वीकृत गोईलकेरा के ग्राम–टुण्डिका (छतियानबेड़ा) के 131 आवेदनों में से 18 आवेदनों पर एवं बन्दगांव के ग्राम–जातेबेड़ा के 04 आवेदनों पर समिति द्वारा पटट्ा निर्गत हेतु अगली बैठक में निर्णय लेने पर समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

6. मेसर्स श्री बालाजी इन्डस्ट्रीज इंजीनियरिंग लिमिटेड, बड़ाजामदा को वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत वनभूमि के अपयोजन के निमित्त कुल 4.11 एकड़ वनभूमि का अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गत करने का निर्णय समिति द्वारा सर्वसम्मति से लिया गया।

अन्त में स–धन्यवाद बैठक की कार्यवाहीं समाप्त की गयी।

| | | |
|---|---|---|
| वन प्रमण्डल पदाधिकारी<br>सारण्डा वन प्रमण्डल, चाईबासा | वन प्रमण्डल पदाधिकारी<br>कोल्हान वन प्रमण्डल, चाईबासा | वन प्रमण्डल पदाधिकारी<br>पोड़ाहाट वन प्रमण्डल, चाईबासा |
| जिला कल्याण पदाधिकारी<br>पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा | वन प्रमण्डल पदाधिकारी<br>चाईबासा वन प्रमण्डल, चाईबासा | अध्यक्ष–सह–उपायुक्त<br>जिला स्तरीय वनाधिकार समिति<br>पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा। |

ज्ञापांक 06 / क. चाईबासा, दिनांक :– 28.02.2023

प्रतिलिपि– सभी अनुमण्डल पदाधिकारी / सभी अंचल अधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी संबंधित ........................................................................................ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिला दण्डाधिकारी–सह–उपायुक्त,
जिला स्तरीय वन अधिकार समिति,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

***दिनांक 09.01.2023 को अनुमण्डल पदाधिकारी जगन्नाथपुर की अध्यक्षता में अनुमण्डल स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक की कार्यवाही :–***

उपस्थिति :– पंजी में :–

**प्रस्ताव सं॰–01–** जिला कल्याण पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के पत्रांक 1144(बी॰)/क॰, दिनांक 02.08.2022 के आलोक में मेसर्स श्री बालाजी इन्डस्ट्रीज इंजीनियरिंग लिमिटेड, बड़ाजामदा के द्वारा मौजा– बड़ाजामदा, थाना नं॰– 774, खाता नं॰ 05, प्लॉट नं॰– 2243, रकवा 4.11 एकड़ जंगल झाड़ी भूमि पर Diversion Proposal के अपयोजन से सम्बंधित ग्राम– बड़ाजामदा के ग्रामीण मुण्डा श्री दिगम्बर चातोम्बा के अध्यक्षता में दिनांक 09.12.2022 को पूर्वाह्न 10:30 बजे खासजामदा बस्ती में स्थायी निवासी ग्रामीणों की उपस्थिति में ग्रामसभा का आयोजन किया गया। ग्रामसभा द्वारा पारित प्रस्ताव मेसर्स श्री बालाजी इन्डस्ट्रीज इंजीनियरिंग लिमिटेड, बड़ाजामदा के आवेदित रकवा 4.11 एकड़ जंगल झाड़ी भूमि पर Diversion Proposal अपयोजन हेतु सर्वसम्मति से पारित किया गया है। तथा अंचल अधिकारी नोवामुण्डी के पत्रांक 642, दिनांक 28.12.2022 द्वारा उक्त वन भूमि में आदिम जनजाति (PTG) एवं पूर्व कृषक समुदाय (PAC) प्रभावित नहीं होने से सम्बंधित प्रतिवेदन दिया गया है। उक्त प्रतिवेदन के आधार पर अनुमण्डल स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा अभिलेख एवं प्रतिवेदन की समीक्षा के उपरांत सर्वसम्मति से पारित करने का निर्णय लिया गया।

अन्त में सधन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2023 | 09/01/2023 | 09/01/2023 | | 9/1/2023 |
| सदस्य अनुमण्डल स्तरीय वनाधिकार समिति, जगन्नाथपुर | प्र॰कल्याण पदा॰ नोवामुण्डी सह–अनु॰क॰पदा॰, जगन्नाथपुर | सहायक वन संरक्षक चाईबासा | सहायक वन संरक्षण सारण्डा, चाईबासा। | अनुमण्डल पदाधिकारी जगन्नाथपुर। |

झारखण्ड सरकार

# अनुमण्डल पदाधिकारी का कार्यालय, जगन्नाथपुर

63

प्रेषक,

पत्रांक : 09/स्टे०

अनुमण्डल पदाधिकारी,
जगन्नाथपुर।

सेवा में,

जिला कल्याण पदाधिकारी
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

जगन्नाथपुर, दिनांक : 09 जनवरी 2023

विषय :- मौजा- बड़ाजामदा, थाना नं.- 774, खाता नं. 05, प्लॉट नं. 2243, रकबा 4.11 जंगल झाड़ी भूमि पर (Forest Right Act) के तहत मेसर्स श्री बालाजी इन्डस्ट्रीज इंजीनियरिंग लिमिटेड, बड़ाजामदा द्वारा Diversion Proposal के अपयोजन हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के निमित त्रुटियों का निराकरण के पश्चात् अनुमण्डल स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा पारित प्रस्ताव का प्रेषण।

प्रसंग :- जिला कल्याण पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के पत्रांक 1144(बी)/रा., दिनांक 02.08.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक द्वारा उठाये गये कतिपय बिन्दुओं का त्रुटिनिराकरण के पश्चात् अंचल अधिकारी, नोवामुण्डी के पत्रांक 642, दिनांक 28.12.2022 द्वारा मौजा- बड़ाजामदा, थाना नं.- 774, खाता नं. 05, प्लॉट नं. 2243, रकबा 4.11 एकड़ जंगल झाड़ी भूमि पर (Forest Right Act) के तहत मेसर्स श्री बालाजी इन्डस्ट्रीज इंजीनियरिंग लिमिटेड, बड़ाजामदा द्वारा Diversion Proposal के प्रयोजन हेतु अनापति प्रमाण-पत्र निर्गत के निमित प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में दिनांक 09.01.2023 को अनुमण्डल स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक की गई।

अतः अनुमण्डल स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक की कार्यवाही प्रतिवेदन एवं पारित मूल प्रस्ताव जिला स्तरीय वनाधिकार समिति को अग्रेतर कार्रवाई हेतु इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है।

विश्वासभाजन

9/1/2023

अनुमण्डल पदाधिकारी
जगन्नाथपुर।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

झारखण्ड सरकार

# अनुमण्डल पदाधिकारी का कार्यालय, जगन्नाथपुर

(कल्याण शाखा)

प्रेषक,

पत्रांक : 243(व0) / क0

अनुमण्डल पदाधिकारी
जगन्नाथपुर।

सेवा में,

सहायक वन संरक्षक, चाईबासा,
चाईबासा वन प्रमण्डल, चाईबासा।

सहायक वन संरक्षक,
सारण्डा वन प्रमण्डल, चाईबासा।

प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी –सह–
अनुमण्डल कल्याण पदाधिकारी,
जगन्नाथपुर।

श्री सोनू सिरका
अनुमंडल स्तरीय वनाधिकार समिति सदस्य
किरीबुरू टाउनशिप क्वॉटर नं0 86/1-E-Type
पोस्ट – किरीबुरू 833222

वन क्षेत्र पदाधिकारी,
नोवामुण्डी, किरीबुरू सासंगदा, गुवा

जगन्नाथपुर दिनांक : 30 **दिसम्बर** 2022।

विषय :– अनुमण्डल स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक में भाग लेने के सम्बंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बंध में कहना है कि वनाधिकार अधिनियम के तहत मेसर्स श्री बालाजी इन्डस्ट्रीज इंजीनियरिंग लिमिटेड, बड़ाजामदा द्वारा Diversion Proposal के प्रयोजन हेतु अनुमण्डल स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा पारित हेतु दिनांक 09.01.2023 को पूर्वाह्न 11.30 बजे अनुमण्डल कार्यालय कक्ष में बैठक आहूत की गई है।

अतः निर्धारित तिथि को ससमय बैठक में भाग लेना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन
30/12/2022
अनुमण्डल पदाधिकारी
जगन्नाथपुर।

# अचंल अधिकारी का कार्यालय, नोवामुण्डी ।

पत्रांक.– 642 दिनांक– 28/12/2022

प्रेषक,

अचंल अधिकारी
नोवामुण्डी ।

सेवा में,

अनुमंडल पदाधिकारी
जगन्नाथपुर ।

विषयः– **मौजा–बड़ाजामदा, थाना नं० 774, खाता नं० 05 प्लॉट नं०2243, रकवा 4.11 एकड़ जंगल झाड़ी भूमि पर Forest Right Act के तहत श्री बालाजी इन्डस्ट्रीज इंजीनियरिंग लिमिटेड, बड़ाजामदा द्वारा Diversion Proposal के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत हेतु ग्राम सभा की प्रति भेजने के संबंध में ।**

प्रसंगः– जिला कल्याण पदाधिकारी, प० सिंहभूम, चाईबासा के ज्ञापांक 1144(बी)/क0 दिनांक 02.08.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के आलोक में कहना है दिनांक 09.12.2022 को **श्री दिगम्बर चातोम्बा, मुण्डा** ग्राम बड़ाजामदा की अध्यक्षता में मेसर्स **श्री बालाजी इन्डस्ट्रीज इंजीनियरिंग लिमिटेड, बड़ाजामदा** को **Diversion Proposal** के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत हेतु पूर्वाह्न 10.30 बजे **मौजा बड़ाजामदा टोला खासजमदा बस्ती** में ग्राम सभा का आयोजन किया गया है।

अतः इस पत्र के साथ ग्राम सभा की छाया प्रति, फोटो ग्राफ,नक्शा एंव प्रमाण पत्र के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा जा रहा हैं।

अनुलग्नकः– ग्राम सभा की पंजी की छाया प्रति।
फोटो ग्राफ प्रति
अभिलेख एक प्रति
नक्शा एक प्रति

विश्वासभाजन

28-12-22

अंचल अधिकारी
नोवामुण्डी ।

ज्ञापांक. 642 दिनांक. 28/12/2022

प्रतिलिपिः – जिला कल्याण पदाधिकारी, प0 सिंहभूम, चाईबासा के ज्ञापांक 1144(बी)/क0 दिनांक 02.08.2022 के आलोक में ग्राम सभा की पंजी की छाया प्रति, फोटो ग्राफ की प्रति एवं नक्सा एक प्रति के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28-12-22

अंचल अधिकारी
नोवामुण्डी ।

## अंचल अधिकारी का कार्यालय, नोवामुण्डी।

Email Id-conoamundi001@gmail.com

(59)

प्रेषित,

पत्रांक 580(A) दिनांक 22/11/2022

श्री दिगम्बर चातोम्बा,
ग्रामीण मुण्डा
बड़ाजामदा।

विषयः– ग्राम–सभा आयोजन करने के संबंध में।

अनुमण्डल पदाधिकारी, जगन्नाथपुर के पत्रांक 312(बी)/सा० दिनांक 10.08.2022 के आलोक में मौजा–बड़ाजामदा, थाना नं0–774, खाता नं0–05, प्लॉट नं0–2243, रकवा–4.11एकड़ किस्म जमीन जंगल झाड़ी भूमि **FRA (Forest Right Act)** अन्तर्गत **Diversion Proposal** हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत के लिए ग्राम–सभा का अनापत्ति आवश्यक है। उक्त से संबंधित दिनांक 26.08.2022 को निर्धारित किया गया था। प्रचार–प्रसार नहीं होने के कारण स्थागित किया गया। पुनः दिनांक 09.09.2022 को पूर्वाह्न 11:00 बजे ग्राम पंचायत कार्यालय बड़ाजामदा परिसर ग्राम–सभा की तिथि निर्धारित की गई थी, परन्तु अपरिहार्य के कारण से ग्राम–सभा की कार्यवाही सपन्न नहीं हो पायी। पुनः दिनांक 09/12/2022 को उक्त से संबंधित ग्राम–सभा आयोजन की गई है। ग्राम–सभा की सूचना डाकुवा के माध्यम से ढोल पीटवा कर प्रचार–प्रसार करना सुनिश्चित करेंगे। ग्रामीण मुण्डा की अनुपस्थिति में पंचायती राज अधिनियम–2001 के तहत ग्राम–सभा में से उपस्थित किसी व्यक्ति को अध्यक्ष मनोनित कर उनके अध्यक्षता में ग्राम–सभा की कार्रवाई सम्पन्न की जाएगी।

अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक को निर्देश दिया जाता है कि उक्त निर्धारित तिथि को ग्रामीण मुण्डा के माध्यम से ग्राम–सभा में पारित प्रस्ताव की प्रति अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में समर्पित करेगें।

ग्रा०म० मु० दिगम्बर चातोम्बा

(हस्ताक्षर) 22.11.22
अंचल अधिकारी,
नोवामुण्डी।

ज्ञापांक 580(A) दिनांक 22/11/2022

प्रतिलिपिः– अध्यक्ष/सचिव/एवं सदस्यगण ग्राम वनाधिकार समिति, बड़ाजामदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– राजस्व उपनिरीक्षक–सह–प्रभारी अंचल निरीक्षक श्री दीपक कुमार बारी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– पंचायत सचिव श्री सोमनाथ पिंगुवा को ग्राम–सभा में अधिक से अधिक ग्रामीण जनताओं की भागीदारी के लिए प्रचार–प्रसार करने हेतु सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी श्री रवीन्द्र कुमार सिंहदेव को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अनुमण्डल स्तरीय वनाधिकार सदस्य श्री सोनु सिरकाको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– वन प्रक्षेत्र पदाधिकारी, नोवामुण्डी रेंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– मेसर्स बालाजी इन्डस्ट्रीज इंजीनियरिंग लि0 बड़ाजामदा को ग्राम–सभा के लिए आवश्यक व्यवस्था करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अनुमडल पदाधिकारी, जगन्नाथपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला कल्याण पदाधिकारी, प0 सिंहभूम, चाईबासा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

विजय बोदरा
अध्यक्ष
ग्राम वनाधिकार समिति

(प्रभारी) वन परिसर पदाधिकारी
जामदा वन परिसर

(हस्ताक्षर) 22.11.22
अंचल अधिकारी,
नोवामुण्डी।

Date
Page 18

आज दिनांक 09/12/2022 को ग्राम बड़ाजामदा के मुण्डा श्री दिगम्बर चातोम्बा की अध्यक्षता में पूर्वाह्न 10.30 बजे ग्राम बड़ाजामदा के टोला मानकी टोला खास जामदा में ग्राम सभा का आयोजन किया गया। अंचल अधिकारी नोवामुण्डी के पत्रांक 580(ii) दिनांक 22/11/2022 अनुमण्डल पदाधिकारी, जगन्नाथपुर के पत्रांक 312 वा० दि० दिनांक 10/08/2022 एवं दिनांक जिला कल्याण पदाधिकारी, प० सिंहभूम चाईबासा के पत्रांक 1144 वो० (कृ०) दिनांक 03/08/2022 के आलोक में मैसर्स बालाजी इन्डस्ट्रीज इंजिनियरिंग लि० बड़ाजामदा द्वारा प्रस्तावित जंगल झाड़ी भूमि मौजा बड़ाजामदा थाना सं० 774 खाता संख्या-05 प्लॉट नं० 2243 रकबा-04.11 एकड़ भूमि पर वनाधिकार अधिनियम 2006 की धारा-3(2) के तहत Diversion Proposal हेतु ग्राम सभा से अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत के लिए ग्राम सभा में निम्नलिखित ग्रामीण जनता एवं पदाधिकारी उपस्थित हुए।

पार्वती देवी
मुखिया
ग्राम पंचायत-बड़ाजामदा
प्रखण्ड-नोवामुण्डी

[illegible] /12/22
मुण्डा
दिगम्बर चातोम्बा
मौजा - बड़ाजामदा
थाना नं० 774

Alok Ranjan Mahto
(प्रभारी) वन परिसर पदाधिकारी
बड़ाजामदा वन परिसर

Rekha Tirkey

Geeta Samad

राजस्व उप निरीक्षक

[illegible]

प्रखंड कल्याण पदा०

Ashok Das

[illegible]

[illegible]

09/12/2022

[illegible]

वनाधिकार समिति सदस्य

Date Page 16

(52)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | विजय बोदरा | अध्यक्ष | Vijay Bodra<br>विजय बोदरा<br>अध्यक्ष<br>ग्राम वनाधिकार समिति<br>कुदाराम) |
| 2 | कुदाराम सोय | सचिव | |
| 3 | राजेश हेस्सा | कोषाध्यक्ष | Rajesh Hessa |
| 4 | सरस्वती देवी | सदस्य | सरस्वती देवी |
| 5 | कविता देवी | सदस्य | कविता देवी |
| 6 | सुषमा चातोम्बा | सदस्य | सुषमा चातोम्बा |
| 7 | लक्ष्मी सिंकु | सदस्य | लक्ष्मी सिंकु |
| 8 | सुनीता हेस्सा | सदस्य | सुनीता हेस्सा |
| 9 | चन्द्रमोहन हेस्सा | सदस्य | चन्द्रमोहन हेस्सा |
| 10 | जगमोहन सिंकु | सदस्य | जगमोहन सिंकु |
| | | सदस्य | |
| | | सदस्य | |
| | | सदस्य | |
| | | सदस्य | |
| | | सदस्य | |
| | | सदस्य | |

Page 17

उपस्थित ग्रामीण जनता

| क्र० | नाम | हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| (1) | रमेश प्रसाद | रमेश प्रसाद |
| (२) | Roshan Lama | [signature] |
| (3) | कमला गोप | कमला गोप. |
| (4) | बुधनी तिरिया | |
| (5) | बुधनी पूर्ति | बुधनी पुरती |
| (6) | टिंकू निषाद | टिंकू निषाद |
| (7) | सुमित लोहरा | Sumit Lohra. |
| (8) | कांडे मुन्डी | |
| (9) | जामुन सिंह कुंकल | जानुम सिंह कुंकल |
| (10) | सरजोम मुन्डी | |
| (11) | भिमा सिंकु | भिमा सिंकु |
| (12) | नारायण सिंकु | नारायण सिंकु |
| (13) | डमरु गोप | |
| (14) | पुनम दास | पुनम दास |
| (15) | शान्तीराम दास | शान्ती राम दास |
| (16) | करिना नाग | |

| | | |
|---|---|---|
| (17) | कजोल कोतोला | |
| (18) | लक्ष्मी बोबोंगा | |
| (19) | सोनु बोबोंगा | |
| (20) | राजकुमार हेस्सा | Rajkumar Hessa |
| (21) | मुरली हेस्सा | Murli Hessa |
| (22) | कांडे कुंकल | कांडे कुंकल |
| (23) | संजय निषाद | Sanjay Nisad |
| (24) | सीता कुन्डी | सीता कुन्डी |
| (25) | विक्की निषाद | Vikky Nisad |
| (26) | पानो देवी | Pano Devi |
| (27) | विजय पुर्ती | Bijay Purty |
| (28) | रमेश हेस्सा | Ramesh Hessa |
| (29) | रमेश गोप | Ramesh Gope |
| (30) | रजनी हेम्ब्रम | |
| (31) | दिलिप हेम्ब्रम | |
| (32) | गणेश नाग | |
| (33) | राजकुमार पिंगुवा | |

| | | |
|---|---|---|
| (34) | दिनेश गोप | Dinesh Gope |
| (35) | रामवती सामंड | रामवती सामंड |
| (36) | जितेन्द्र बिरुवा | जितेन्द्र बिरुवा |
| (37) | कृष्णा गुप्ता | कृष्णा गुप्ता |
| (38) | शुभम साव | Shubham Saw |
| (39) | राजेन्द्र निषाद | राजेन्द्र निषाद |
| (40) | कांती निषाद | Kanti Devi |
| (41) | रानी हेम्ब्रम | |
| (42) | सुनीता गोप | |
| (43) | नाबईम सुंडी | |
| (44) | राजकुमारी सिरिया | |
| (45) | पुनकुमी चातार | |
| (46) | लक्ष्मी सिंकु | |
| (47) | फूलवती कुमारी | |
| (48) | बिनोद राम | Binod Ram |
| (49) | ध्रुव प्रसाद | ध्रुव प्रसाद |
| (50) | रंजीत प्रसाद | Ranjit Parsad |

Scanned with OKEN Scanner

| | | |
|---|---|---|
| (51) | विकास गौड़ | विकास गौड़ |
| (52) | रीना गौड़ | रीना गौड़ |
| (53) | मीना कुम्हार | |
| (54) | सरस्वती देवी | |
| (55) | कुशो कुम्हार | |
| (56) | संजय तिरिया | Sanjay Tiriya |
| (57) | सुनील गुप्ता | Sunil Gupta |
| (58) | बच्चु पूर्ती | Bachupurty |
| (59) | रमेश पूर्ती | रमेश पूर्ती |
| (60) | जितेन्द्र निषाद | जितेन्द्र निषाद |
| (61) | कार्तिक गोप | Kartik Gope |
| (62) | राम गोप | राम गोप |
| (63) | विजय मुण्डा | विजय मुण्डा |
| (64) | रजक साव | रजक साव |
| (65) | राजु बालमुचु | Raju Balmchu |
| (66) | प्रह्लाद गुप्ता | प्रह्लाद गुप्ता |
| (67) | निरंजन सुरीन | [illegible] |

Scanned with OKEN Scanner

Date
Page. 21



| | | |
|---|---|---|
| (68) | दुलारी सोंग | दुलारी सोंग |
| (69) | सोनी शर्मा | Sony Sharma |
| (70) | सिकन्दर निषाद | Sikandar Nisad |
| (71) | संध्या देवी | संध्या देवी |
| (72) | शिल्पा कुमारी | शिल्पा कुमारी |
| (73) | शिवा प्रसाद | Shiva prasad |
| (74) | सीमा देवी | सीमा देवी |
| (75) | रीतु सुरेन | रीतु सुरेन |
| (76) | रिंकी गगराई | Rinki Gagrai |
| (77) | बबलु साव | [illegible] |
| (78) | बिरसा सुर | बिरसा सुर |
| (79) | दिव्या सुर | Divya Sur |
| (80) | विमला गोप | विमला गोप |
| (81) | रुपेश सिंकु | रुपेश सिंकु |
| (82) | देवेन्द्र लागुरी | Debedra Lagun |
| (83) | घनश्याम लागुरी | घनश्याम लागुरी |
| (84) | अमन शर्मा | Aman Sharma |

Scanned with OKEN Scanner

| | | |
|---|---|---|
| (85) | शांती देवी | |
| (86) | दुर्गा देवी | |
| (87) | जानकी सुरेन | जानकी सुरेन |
| (88) | जोगेन गोप | जोगेन गोप |
| (89) | धर्मेन्द्र साव | साव |
| (90) | दिपेश गोप | Deepesh Gope |
| (91) | बजरंग गोप | Bajrang gope |
| (92) | विजय हाँसदा | विजय हाँसदा |
| (93) | राज गुप्ता | Rajgupta |
| (94) | काड़ू राम | |
| (95) | सुमन दास | Sunny Das |
| (96) | बबलू दास | बबलू दास |
| (97) | बोंधो लोहार | |
| (98) | जयंती पूर्ती | |
| (99) | रानी निषाद | Raninishad |
| (100) | शांती निषाद | शांती निषाद |
| (101) | मिली पात्रो | मिली पात्रो |

| | | |
|---|---|---|
| (102) | अनिल पात्रो | Anil Patro |
| (103) | करुणा कुंकल | करुणा कुंवर |
| (104) | हीरालाल गोप | [thumbprint] |
| (105) | मंगल पूर्ती | [thumbprint] |
| (106) | मदन तिर्की | [thumbprint] |
| (107) | दुखनी चाहोमला | [thumbprint] |
| (108) | सुनील हेम्ब्रम | सुनील हेम्ब्रम |
| (109) | अन्नु लोहरा | अन्नु लोहरा |
| (110) | अर्जुन कुम्हार | Arjun Kumhar |
| (111) | विजय मुंडा | विजय मुंडा |
| (112) | बुधराम सोय | बुधराम सोय |
| (113) | देवेन्द्र देवगम | D Deogam |
| (114) | मुन्ना पूर्ती | Munna Purty |
| (115) | सैमोन कोडा | सैमोन कोडा |
| (116) | कोंदा अंगराई | कोंदा अंगराई |
| (117) | दिलिप हासदा | Dilip Hasda |
| (118) | राजु लागुरी | राजु लागुरी |

Scanned with OKEN Scanner

1. ग्राम सभा में उपस्थित ग्रामीण जनताओं द्वारा मेसर्स गोलाची इंडस्ट्रीज इंजिनियरिंग लिमिटेड बड़ाजामदा, परियोजना (परियोजना का नाम) के लिए प्रस्तावित जंगल झाड़ी भूमि मौजा- बड़ाजामदा खाता नं० 774 खाता सं० 05, प्लॉट संख्या 2243, रकबा 4.11 एकड़ संरक्षित जंगल झाड़ी भूमि को अपयोजन करने (वनभूमि के क्षेत्रफल) के संबंध में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत Settlement of Rights की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। इस संबंध में की गई बैठक से संबंधित अभिलेख संलग्न है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव प्रस्तावित क्षेत्र में पड़ने वाले वन निवासियों में वस्तुस्थिति स्थानीय भाषा /मातृभाषा में ग्रामसभा को अवगत कर दी गई है।

3. प्रमाणित किया जाता है कि वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में की गई चर्चा एवं लिये गये निर्णय के समय ग्राम सभा के न्यूनतम पचास प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति की कोरम पूर्ण था।

4. प्रस्तावित प्रमाणित किया जाता है कि सरकार के द्वारा दिये गये निर्देशों आदिम जन जाति समूह एवं कृषक समूह एवं आदिम कृषक समुदाय के वन अधिकार अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा-3 (1) (e) के अनुसार विशेष रूप से रक्षित किया गया है।

5. प्रमाणित किया जाता है कि सरकार के द्वारा दिये जाने वाली सुविधाओं से संबंधित वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव यदि कोई हो के संबंध में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के प्रावधानों के अन्तर्गत वन भूमि अपयोजन के मामलों में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के पत्रांक एफ0 नं0-11/9/

Scanned with OKEN Scanner

1995-FC(PT) प्रावधानों के अनुपालन कराने के उद्देश्य से अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा-3(2) के तहत प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है तथा ग्राम सभा द्वारा मेसर्स कोलगजी इन्डस्ट्रीज इंजीनियरिंग लिमिटेड बड़ाजामदा। परियोजना (परियोजना का नाम) के लिए प्रस्तावित जंगल झाड़ी भूमि मौजा- बड़ाजामदा थाना न० 774, खाता सं०-05, प्लोट संख्या 2243, रकबा 4.11 एकड़ संरक्षित वन भूमि (जंगल झाड़ी भूमि) को अपयोजन हेतु सहमति व्यक्त की है।

[signature] 12/12

मुण्डा
ग्राम्य सलोच
मौजा - बड़ाजामदा
774

Scanned with OKEN Scanner

ग्राम सभा के प्रस्ताव पारित किया है।

1) ग्राम सभा में उपस्थित ग्रामीण जनता द्वारा खास जामदा बस्ती ग्रामीण में पक्का नाला मेसर्स बालाजी से कराने का सर्वसहमति से ध्वनी मत देकर ग्राम सभा में पारित किया जाता है।

2) ग्राम सभा में उपस्थित ग्रामीण जनता द्वारा खास जामदा बस्ती ग्रामीण में माँ कानूनी पुजा मंडप को छत ढलाई कर सुन्दरीकरण करना ग्राम सभा में पारित किया जाता है।

3) ग्राम सभा में उपस्थित ग्रामीण जनता द्वारा ~~खास~~ बड़ा जामदा क्षेत्र के जनता को बिमार स्थिति में हॉस्पीटल पहुँचाने के लिए एम्बुलेंस का सुविधा मेसर्स बालाजी से कराने का सर्वसहमति से ध्वनी मत देकर ग्राम सभा में पारित किया जाता है।

4) ग्राम सभा में उपस्थित ग्रामीण जनता द्वारा बड़ा जामदा बंकी साई बस्ती में बजरंग बली मंदीर को बना कर सुन्दरी करण करना मेसर्स बालाजी से कराने का सर्वसहमति से ध्वनी मत देकर ग्राम सभा में पारित किया जाता है।

5) ग्राम सभा में उपस्थित ग्रामीण जनता द्वारा बड़ा जामदा बस्ती के उत्क्रमित विद्यालय में पेवर ब्लॉक लगाकर स्कूल को सुन्दरीकरण करना मेसर्स बालाजी से कराने का सर्वसहमति से ध्वनी मत देकर ग्राम सभा में पारित किया जाता है।

Page 27

32

ग्राम सभा अध्यक्ष के सहमति से आज के ग्राम सभा समापन की घोषणा के साथ सभी उपस्थित ग्रामीणों को सधन्यवाद ज्ञापन के साथ ग्राम सभा की कार्यवाही समाप्त किया गया। ~~क्रमांक 119 से~~ क्रमांक 01 से 216 तक ग्रामीण जनताओं की उपस्थिति हुई।

05/12/22
मुखिया
दिगम्बर चातोम्बा
मौजा - बड़ाजामदा
थाना नं 174

119 Bajrang Chanda [signature]

120 रजनीश बोदरा - राजेश्वर बोदरा

121 विनय कश्यप - Binay Kashyap

122 रामसिंह तिरिया - रामसिंह तिरिया

123 राकेश बिरुली - राकेश बिरुली

124 फुलमती लामसोय - फूलमती लामसो

125 जानो कुई - जानो कुई

126 जगदीश्वर राव - जगदीश्वर राव

127 गेंजाती बुढ़ी - गेंजाती बुढ़ी

128 गोपाल लोहरा - गोपाल लोहरा

129 सोमशेन चातोम्बा - सोमशेन चातोम्बा

130 कमल बोदरा - कमल बोदरा

Scanned with OKEN Scanner

131 रानी देवी — रानी देवी

132 रतनीया खातुन — रतनीया खातुन

133 सुखराम सुरेन — सुखराम सुरेन

134 सुनीता सुरेन —

135 गुरुवारी सुरेन ① —

136 सुमनाथ सुरेन — सुमनाथ सुरेन

137 दुमनी सुरेन — दुमनी सुरेन

138 सरस्वती चम्पिया —

139 गुरुवारी सुरेन ② —

140 गंगाराम सुरेन —

141 मनोज सुरेन — मनोज सुरेन

142 कांडे लोहार — कांडे लोहार

143 जोंका लोहार —

144 रामा सुरेन —

145 बिरसा सुरेन ② — बिरसा सुरेन

146 डिसिल गागराई —

147 लक्ष्मण गोप —

Scanned with OKEN Scanner

148 लानो सुरेन

149 मंगल सुरेन मंगल सुरेन

150 मुगड़ सुरेन — मुंगड़ सुरेन

151 कोमला सुरेन —

152 मोनी सुरेन —

153 मानी सुरेन —

154 जीनगी सुरेन —

155 राजकिशोर सुरेन — राजकिशोर सुरेन

156 रासिका सुरेन —(1) रासिका सुरेन

157 चन्द्रमोहन गगराई —

158 रेगा गगराई —

159 डम्पत लोहार —

160 रासिका लोहार —

161 सागर सुरेन —

162 रासिका सुरेन —(2) —

163 माधुरी गगराई —

164 पानो सुरेन —

Scanned with OKEN Scanner

165 पुतली सुरेन —
166 गिरजी नगराई —
167 कांडे कुंकल — कान्हे कुकल
168 देवन्ती गोप — देवन्ती गोप
169 श्रीमति गोप —
170 रतनी गोप
171 श्रीमति महतो — श्रीमती महतो
172 गीता गोप — गीता गोप
173 मालती गोप — मालती गोप
174 राजेश चौधरी — Rajesh Chsuay
175 पुरुषोत्तम पिंगवा —
176 बबलु कोड़ा —
177 लखन तिरिया —
178 श्रीकान्त गोप — श्रीकान्तगोप
179 लक्ष्मी सामाद —
180 जानकी कोड़ा — जानी कोड़ा
181 सुख लापद —

182 दोआमा तिरिआ —

183 पिंकी धोराईबुरु

184 कुन्वी नायक — कुन्चीनायक

185 कुड़ी चातोम्बा — कुड़ी चातम्बा

186 राजेशो गोप — राजेश गोप

187 सुनीता गोप — सुनीता गोप

188 लेम्बो कोड़ा — लेम्बो कोड़ा

189 गीता अंगराई — गीताअंगराई

190 गोविन्द सोय —

191 मादु तिरिया —

192 लक्ष्मी अंगराई — लक्ष्मी अंगराई

193 पिंकी धोराईबुरु — पिंकी दोराईबुरु

194 पोरनो गोप — PURNOGOPE

195 अंजु देवी — अंजु देवी

196 मीरा देवी — मीरा देवी

197 कैलाश गोप — कैलाश गोप

198 सोनी सिंह — सोनी सिंह

Scanned with OKEN Scanner

199 नीतु हेम्ब्रम — Nitu Hembram

200 Halyani Purty — Halyani Purty

201 ज्योति हेस्सा — ज्योति हेस्सा

202 भारती हेम्ब्रम — भारती हेम्ब्रम

203 मीनी हेम्ब्रम — मीनी हेम्ब्रम

204 नरेखा सिंकु — नरेखा सिंकु

205 गांगी कुई —

206 डोबरो पुरती — डोबरो पुरती

207 जशोदा गोप —

208 जानकी गोप —

209 कमल गोप —

210 पंजाबी गोप — Panjabi Gope

211 मान सिंहगा — मानसिंहगा

212 सुजीत चतोम्बा Sujit Chatomba

213 कुमार सौरव Kumar Mishra

214 Shuvojit Majumder. Majumder

215 Sumit Kumar Sumit

Scanned with OKEN Scanner

216 [illegible]

09/12/22

# प्रमाण--पत्र

1. प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स बालाजी इन्डस्ट्रीज इंजीनियरिंग लिमिटेड बड़ाजामदा, परियोजना (परियोजना का नाम) के लिए प्रस्तावित जंगल झाड़ी भूमि मौजा-- बड़ाजामदा थाना न० 774, खाता संख्या --05, प्लॉट संख्या-- 2243, रकवा 4.11 एकड़ संरक्षित वनभूमि को अपयोजन कर (वनभूमि के क्षेत्रफल) के संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत Settlement of rights की प्रकिया पूर्ण कर ली गई है। इस संबंध में की गई बैठक से संबंधित अभिलेख संलग्न है।

2. प्रमाणित किया जात है कि वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव प्रस्तावित क्षेत्र में पड़नें वाले वन निवासियों में वस्तुस्थिति स्थानीय भाषा/मातृभाषा में ग्राम सभा को व्याख्यापित कर दी गई है।

3. प्रमाणित किया जाता है कि वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में की गई चर्चा एवं लिये गये निर्णय के समय ग्राम सभा के न्यूनतम पचास प्रतिशत सदस्य की उपस्थिति को कोरम पूर्ण था।

4. प्रमाणित किया जाता है कि आदिम जनजाति समूह एवं कृषक समूह एवं आदिम कृषक समुदाय के वन अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा--3 (1) (e) के अनुसार विशेष रूप से रक्षित किया गया है।

5. प्रमाणित किया जाता है कि सरकार के द्वारा दिये जानेवाली सुविधाओं से संबंधित वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव यदि कोई हो के संबध में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के प्रावधानों के अन्तर्गत वनभूमि अपयोजन के मामलों में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक एम० नं० -- 11/9/1998-FC((PT) प्रावधानों के अनुपालन कराने के उद्देश्य से अ०ज०जा० एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा--3 (2) के तहत् प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है तथा ग्राम सभा द्वारा मेसर्स बालाजी इन्डस्ट्रीज इंजीनियरिंग लिमिटेड बड़ाजामदा, परियोजना (परियोजना का नाम) के लिए प्रस्तावित जंगल झाड़ी भूमि मौजा-- बड़ाजामदा थाना न० 774, खाता संख्या --05, प्लॉट संख्या-- 2243, रकवा 4.11 एकड़ संरक्षित वनभूमि को अपयोजन हेतु सहमति व्यक्त की है।

मुण्डा [signature]

मुण्डा
दिगम्बर चालोम्बा
मौजा - बड़ाजामदा
थाना नं० 774

उपायुक्त,
प० सिंहभूम, चाईबासा।
सह--अध्यक्ष--
जिला स्तरीय वन अधिकार समिति
वन अधिकार अधिनियम, 2006

नाम ग्राम बड़ा जामदा
थाना कोल्हान
थाना नं. 668
पोस्ट जामदा
जिला सिंहभूम
पैमाना 16" = 1 मील
सन 1960-61 ई०

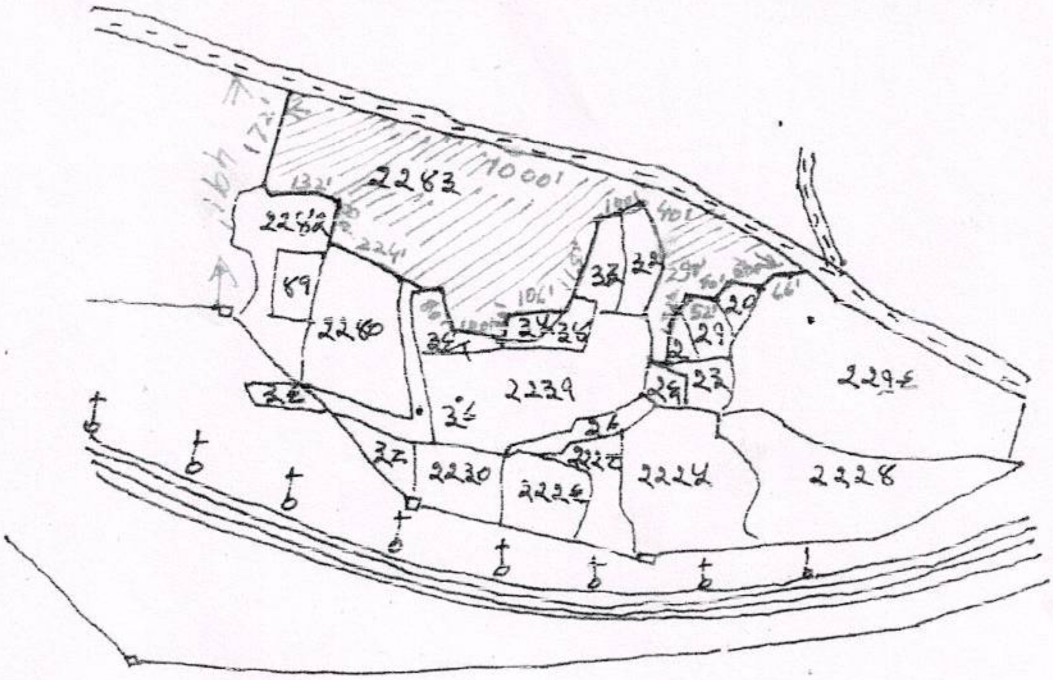


प्रभारी वन परिसर पदाधिकारी
जामदा वन परिसर

For SHRI BALAJI INDUSTRIAL ENGINEERING LTD.

Authorised Signatory.

नाम ग्राम बड़ाजामदा
थाना नोआमुंडी
थाना नं० 774
पी० नोआमुंडी
जिला सिंहभूम
पैमाना 16" = 1 मील
सन 1958–59 ई०

(23)

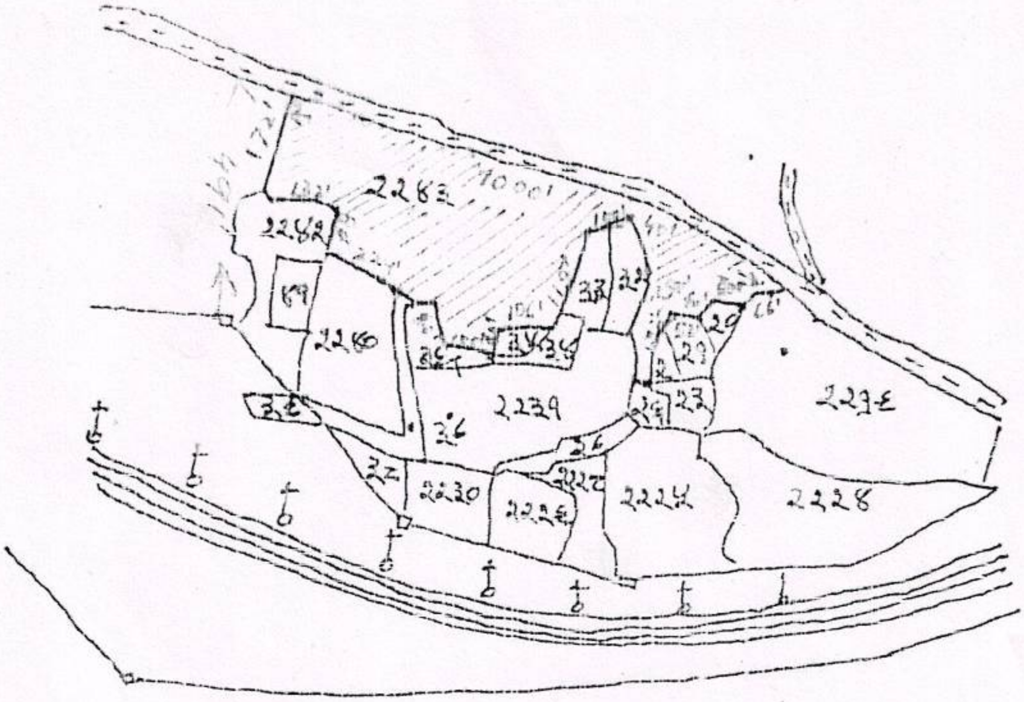


For SHRI BALAJI INDUSTRIAL ENGINEERING LTD.

Authorised Signatory.

प्रभारी वन परिसर पदाधिकारी
जामदा वन परिसर

मुण्डा
दिगम्बर चातोम्बा
मौजा - बड़ाजामदा
थाना नं० 774

(19)

# जिला दण्डाधिकारी–सह–उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा का कार्यालय।

(राजस्व शाखा)

पत्रांक : 453(B) /रा०

प्रेषक,

अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

सेवा में,

अंचल अधिकारी,
नोवामुण्डी।

दिनांक 08· वीं मार्च, 2022, चाईबासा।

विषय : श्री बालाजी इन्डस्ट्रीज ईंजीनियरिंग, बड़ाजामदा के आवेदन के आलोक में 4.11 एकड़ जंगल झाड़ी भूमि का FRA के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि श्री बालाजी इन्डस्ट्रीज ईंजीनियरिंग, बड़ाजामदा के द्वारा नोवामुण्डी अंचलान्तर्गत मौजा बड़ाजामदा के खाता नं०–05 के 4.11 एकड़ भूमि का FRA (Forest Right Act) अन्तर्गत Diversion Proposal के निमित्त सहमति पत्र हेतु अनुरोध किया गया है।

उक्त पत्र की मूल प्रति इस पत्र के साथ भेजते हुए निदेशित है कि उक्त वर्णित भूमि का अभिलेख संधारण करते हुए नियमानुसार FRA (Forest Right Act) के अन्तर्गत ग्राम वन समिति में प्रस्ताव पारित कराकर स्वीकृति हेतु अनुमण्डलीय वनाधिकार समिति को भेजना सुनिश्चित करेगें।

अनुलग्नक– यथोक्त।

विश्वासभाजन

08.03.22

अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

ज्ञापांक– 453(B) रा० दिनांक– 08.03.22

प्रतिलिपि : जिला कल्याण पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा को श्री बालाजी इन्डस्ट्रीज ईंजीनियरिंग, बड़ाजामदा के आवेदन पत्र की छायाप्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08.03.22

अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

Rd
SBIEL